सत्यमेव जयते
Web Copy - Not ...

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **37/2018** दायर दिनाँक **31.01.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्रीमती अन्जुमन बानों पत्नी स्व0 गफुर खां 2. मोहम्मद शफी खां पुत्र स्व0 नसीर खां 3. गुलाम नबी खां पुत्र मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां 4. गुलाम सरवर खां पुत्र मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां समस्त जाति पठान निवासीगण डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अफजल बानों पुत्री स्व0 मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां 2. फातमा बानों पुत्री स्व0 मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां 3. रजिया बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 4. राबिया बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 5. नजमा बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 6. हुसना बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 7. आदिल खां पुत्र गफुर खां 8. फिरोज खां पुत्र गफुर खां 9. फेजान खां पुत्र गफुर खां 10. शबनम बानों पुत्री गफुर खां 11. साहेबा बानों पुत्री गफुर खां समस्त जाति पठान निवासीगण डीडवाना तहसील—डीडवाना जिला—नागौर राजस्थान 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घाषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेशपुरी वकील, वादीगण।
2. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **05.03.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 11 एक ही पूर्वज स्व0 बेली खां पठान के वारिसान है। जिनकी वंशावली वाद के साथ पेश है। कस्बा डीडवाना के खेत खसरा सं0 856 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 840 रकबा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

04 बीघा 13 बिस्वा वादीगण की पैतृक खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि हम वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक समायोजन में हम वादीगण के हक हिस्से में आई हुई है। वर्तमान में इन खसरा नम्बरान की भूमि पर हम वादीगण काबिज चले आ रहे है। मगर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अस्पष्ट व गलत अंकित रहने से वादीगण अपने हक हिस्से की उक्त भूमि को सुरक्षित नहीं समझते है। अतः वादीगण को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी रेकार्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। दावा राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती का होने से लेण्ड होल्डर तहसीलदार डीडवाना को पक्षकार बनाया है।

प्रार्थना वादी है कि खसरा सं0 856 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 840 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में से 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 01 अन्जुमन बानों के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 02 मोहम्मद शफी खां के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 03 गुलाम नबी खां के नाम तथा शेष 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 04 गुलाम सरवर खां के नाम अंकित करवाई जो का आदेश फरमावें तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि भविष्य में वादीगण के कब्जा काश्त व खातेदारी के उक्त खेत खसरा सं0 856 व 840 वाके सरहद डीडवाना में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी हस्तक्षेप अथवा हस्तान्तरण न तो स्वयं करें और न अपने आदमी या ऐजेन्ट से करवायें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 तक ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री महेश पुरी ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, राजीनामा अनुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

राजीनाम अनुसार खसरा सं0 856 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 840 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा वाके सरहद डीडवाना में से 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 01 अन्जुमन बानों के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 02 मोहम्मद शफी खां के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 03 गुलाम नबी खां के नाम तथा शेष 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 04 गुलाम सरवर खां के नाम अंकित हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 37/2018
दायर दिनाँ 31.01.2018, निर्णय दिनाँक 05.03.2018
अन्जुमन बानों बनाम अफजल बानों, वगैरा।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद डीडवाना के खसरा सं0 856 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 840 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा में से 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 01 अन्जुमन बानों के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 02 मोहम्मद शफी खां के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 03 गुलाम नबी खां के नाम तथा शेष 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 04 गुलाम सरवर खां के नाम घोषित की जाती है तथा शेष खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 37/2018 दायर दिनाँक 31.01.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्रीमती अन्जुमन बानों पत्नी स्व0 गफुर खां 2. मोहम्मद शफी खां पुत्र स्व0 नसीर खां 3. गुलाम नबी खां पुत्र मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां 4. गुलाम सरवर खां पुत्र मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां समस्त जाति पठान निवासीगण डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अफजल बानों पुत्री स्व0 मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां 2. फातमा बानों पुत्री स्व0 मोहम्मद खां उर्फ ममदु खां 3. रजिया बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 4. राबिया बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 5. नजमा बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 6. हुसना बानों पुत्री स्व0 नसीर खां 7. आदिल खां पुत्र गफुर खां 8. फिरोज खां पुत्र गफुर खां 9. फेजान खां पुत्र गफुर खां 10. शबनम बानों पुत्री गफुर खां 11. साहेबा बानों पुत्री गफुर खां समस्त जाति पठान निवासीगण डीडवाना तहसील–डीडवाना जिला–नागौर राजस्थान 12. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 05.03.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेश पुरी, वकील, वादीगण व श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर शरहद डीडवाना के खसरा सं0 856 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा व खसरा सं0 840 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा में से 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 01 अन्जुमन बानों के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 02 मोहम्मद शफी खां के नाम, 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 03 गुलाम नबी खां के नाम तथा शेष 1/4 भाग की खातेदारी वादी सं0 04 गुलाम सरवर खां के नाम घोषित की जाती है तथा शेष खातेदारों के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.........–......... मुबलिंग............–.............. बाबत......................–......................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.03.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner